मुख्य अभियंता का कार्यालय

राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–एन0एच0–25 / प्राक्क0–01–24 / 2017 दिनांक:

प्रेषक:–

कृष्ण चन्द्र ठाकुर
मुख्य अभियंता
राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, बिहार, पटना।

कम्प्यूटरीकृत आगत पंजीयन संख्या
पंजीयन सं०–12157
दिनांक–10/01/2019

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर।

विषय: **Widening & Strengthening to 2 lane with paved shoulder from Km 30.00 to 45.00 of NH-101 in the State of Bihar item rate (Job No.101-BR-2017-18/911) in the State of Bihar for the year 2018-19 कार्य की निविदा के संबंध में।**

प्रसंग: आपका पत्रांक–1167(अनु0) दिनांक–08.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा समर्पित वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी की स्वीकृति हेतु दिनांक–18.12.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में विषयांकित कार्य के निविदा के तकनीकी बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/s Maa Rajeshwari Construction Pvt Ltd, At+P.O-Phulwari, P.S-Maker, District-Saran के पक्ष में उनके द्वारा उद्धृत राशि मो0 56,58,37,579.00 (छप्पन करोड़ अंठावन लाख सैतीस हजार पाँच सौ उन्नासी) मात्र, जो Amount put to tender की राशि मो0 66,09,00,000/- रूपये से लगभग 14.38 प्रतिशत कम है, पर निम्नलिखित शर्त्तों के साथ कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(i) विभागीय निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार संवेदक से 8.13 प्रतिशत अतिरिक्त Performance Guarantee एवं 5 प्रतिशत Performance Security प्राप्त करने के उपरांत ही एकरारनामा किया जाय।

2. कार्य समाप्ति की अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार 548 (पाँच सौ अड़तालीस) दिन होगी।

3. इस कार्य पर होने वाला व्यय किसी भी स्थिति में निविदा स्वीकृति की राशि मो0 56,58,37,579/- (छप्पन करोड़ अंठावन लाख सैतीस हजार पाँच सौ उन्नासी) रूपये मात्र से नहीं बढ़ना चाहिए।

4. अधीक्षण अभियंता तुलनात्मक विवरणी पर स्वीकृत्यादेश अंकित करेंगे एवं जॉच कर लेगें कि निविदा की स्वीकृत राशि स्वीकृत जॉब के Expenditure limit के अंतर्गत है अथवा नहीं। यदि Expenditure limit के अंतर्गत नहीं है तो तुरन्त निविदा दर पर Revised estimate भेंजेगें तथा स्वीकृत होने पर ही कार्यादेश निर्गत का आदेश देगें।

5. इस कार्य के संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक टिप्पणी एकरारनामा का एक अंग होगा।

6. एकरारनामा करने के पूर्व क्वारी/दर की जॉच अपने स्तर पर करके संतुष्ट हो लेंगे। किसी भी तरह की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित करेगें।

7. एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन राशि की सत्यता को जॉच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

8. एकरारनामा करने के पूर्व निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर, बिक्री कर, लाइसेंस, चरित्र प्रमाण पत्र के मूल प्रति की जॉच कर लेगें।

66
11.01.19

IT, Manager
upload it
11-1-19

कृ0पृ0उ0

9. कार्य से संबंधित विभिन्न निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति कार्य, भारतीय रोड कॉंग्रेस द्वारा निर्गत संबंधित कोड के सुसंगत कंडिका में दिये गये विशिष्टि एवं मानक तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा निदेश के अनुसार ही किया जाय। कार्य की गुणवत्ता में किसी तरह के त्रुटि/त्रुटियों के लिए संवेदक पूर्णतया दोषी समझे जाएगें।

10. कार्य से सम्बन्धित सामग्रियों की आपूर्ति एवं कार्य की जॉच निगरानी विभाग, बिहार सरकार/भारतीय रोड कॉंग्रेस से निर्गत संबंधित कोड/भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा दिए गए दिशा–निदेश के आलोक में करेंगे। सामग्रियों की आपूर्ति/कार्य की गुणवत्ता से संबंधित जॉच में किसी तरह के त्रुटि/त्रुटियों के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता दोषी होंगे।

11. संवेदक को कार्यस्थल पर स्टोन एग्रीगेट एवं बिटुमिन की जॉच हेतु आई०एस०कोड के अनुसार अपना प्रयोगशाला सभी इन्स्ट्रुमेंट के साथ स्थापित करना अनिवार्य होगा।

12. संवेदक को 60/70 ग्रेड के बिटुमिन/Modified Bitumen की आपूर्ति स्वयं करना होगा।

13. संवेदक को 60/70 ग्रेड बिटूमिन/ Modified Bitumen ग्रेड का क्रय भारत सरकार के लोक उपक्रम ऑयल कम्पनी से हीं करना होगा। बिटुमेन प्राप्ति की सूचना 48 घंटे के अन्दर संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता को देना होगा। कार्यपालक अभियंता द्वारा जॉचोपरान्त हीं संवेदक इस बिटुमिन का उपयोग संबंधित कार्य में करेंगे।

14. बिटुमिन क्रय के लिए किसी तरह के अग्रिम का भुगतान देय नहीं होगा।

15. MoRT&H के पत्रांक–RW-24011/02/2014 Mech dt.11.12.2015 के अनुसार संवेदक को बिटुमिनस कार्य Batch type Hot Mix Plant से ही करना अनिवार्य होगा।

16. एकरारनामा करने के पहले संबंधित कार्य को पूरा करने का पाक्षिक कार्य योजना संवेदक को लिखित देना होगा, जो सी.पी.एम./पर्ट/बार चार्ट में होगा एवं यह एकरारनामा का एक भाग होगा।

17. विभागीय निविदा समिति के बैठक में दिए गए निदेश एकरारनामा का भाग होगा।

18. एकरारनामा की प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब समर्पित करेंगे।

19. Variation कार्य कराने के पूर्व इसकी स्वीकृति प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

20. In case of any dispute jurisdiction of Hon'ble High Court Patna shall be applicable.

विश्वासभाजन

ह0/–

(कृष्ण चन्द्र ठाकुर)

मुख्य अभियंता

राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, बिहार, पटना।

अनु0–(1) वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी की मूलप्रति।
(2) विभागीय निविदा समिति के निर्णय की छायाप्रति।
(3) Downloaded document.

ज्ञापांक: दिनांक:

प्रतिलिपिः कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

मुख्य अभियंता

राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 85 दिनांक: 10/1/19

अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के बेवसाईड पर अपलोड कराने एवं सूचनार्थ प्रेषित।

08/01/2019

मुख्य अभियंता

राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, बिहार, पटना।

09/1/19

6359